

1092/148-2011
संख्या

U100
24/6

संख्या-1097/1-4-11-134बी-4/02 टीसी0

प्रेषक,


के०के० सिन्हा,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
राजस्व विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।



प्र०प्र० (ल०)

सेवा में,

1. आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ०प्र०, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।


24/6/11

राजस्व अनुभाग-4


लखनऊ: दिनांक: 13 जून, 2011


विषय-उत्तर प्रदेश अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) (द्वितीय संशोधन)
नियमावली, 2011 का प्रख्यापन।

प्र० प्र० प्र०

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं०-74/1-4-11-134 बी-4/02 टीसी, दिनांक
13.1.2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त
विरासत के मामलों में, खाताधारक की मृत्यु के उपरान्त भू-राजस्व अधिनियम की
धारा-33 क के अंतर्गत प्रपत्र पक-11 पर नामान्तरण आदेश अधिकतम 13 दिवसों में
दर्ज कर कम्प्यूटरीकृत खतौनी उद्धरण मृतक के वारिसों को निःशुल्क दिये जाने का
निर्णय लिया गया है। कृपया तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।



भवदीय

(के०के० सिन्हा)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक: उपरोक्त

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, आई०टी० एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उ०प्र० शासन को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(शिव श्याम मिश्र)
विशेष सचिव।